कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–24.12.2020

वाद संख्या 06/2015

दीवानी दावा :

1. दामोदर प्रसाद पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. गोविन्दनारायण पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सत्यनारायण पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पिताम्बर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. कैलाशी पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मनभर पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. गायत्री पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सावित्री पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. सन्तोष बेवा किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. विमला पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. सीमा पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. बिन्दु पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12. मोनिका पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13. कान्ता बेवा मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
14. राजेन्द्र पुत्र मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
15. रमेश पुत्र मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
16. इन्द्रा पुत्री मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
17. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री भगवान सिंह सोलंकी

श्री आलोक कुमार शर्मा

अधिवक्ता वादी

इकाबालिया जवाब

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16

वाद पत्र दुरुस्ती इन्द्राज, उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी नं. 1ता 16 एक ही परिवार में आपस में भाई बन्ध है जिनकी खातेदारी व कब्जे

...जी आराजी साबिक खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम घाड़ में स्थित है। ...के पिता स्व. देवीलाल जी की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के पिता ...स्वरूप एवं प्रतिवादी सं. 8 ता 12 के पिता किशनगोपाल, एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता ...के पिता/पत्ति मधुसुदन की की मृत्यु हो चुकी है जिनके प्रतिवादीगण विधिक उतराधिकारी ... उपरोक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 16 का 3/4 हिस्सा ... हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। वादी के पिता स्व. देवीलाल जी एवं प्रतिवादीगण के पिता रामस्वरूप, किशनगोपाल व मधुसुदन की मृत्यु हो चुकी है किन्तु अब तक भी उक्त भूमि उनके नाम से ही चली आ रही है जबकि वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु हुए काफी वर्ष हो गये है तथा अब तक भी उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में अंकित नहीं हो सकी है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि की खातेदारी का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही होने से वादी को उक्त वाद पेश कर उसके हिस्से की भूमि 1/4 की खातेदारी की उद्घोषणा करवाया जाना आवश्यक हो गया है एवं इसी प्रकार प्रतिवादीगण की भूमि भी उनकी खातेदारी में उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादी की आराजी खसरा नं. 1753 रकबा 0.43 है0 में से हिस्सा 1/4 का खातेदार उद्घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सं0 8 ता 12 का हिस्सा 1/4 प्रतिवादी सं0 13 ता 16 का हिस्सा 1/4 का खातेदार उद्घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे वादी को उसके हिस्सा 1/4 में काश्त करने फसल बोने लाने ले जाने में किसी प्रकार की कोई मजामहत पैदा नहीं करे और ना ही उपयोग– उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 की ओर से इकबालिया जवाब में वाद पत्र के चरण नं. 1 ता 6 को स्वीकार किया है चरण नं. 7, 8, 9 को कानूनी बताया है और निवेदन किया है कि वाद को डिक्री कर दिया जावे तो इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।

वाद में इकबालिया जवाब होने से तनकियात बिन्दू कायम नही किये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श कराये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम घाड़ सम्वत 2069–72, प्रदर्श–3 छाया प्रति राशन कार्ड ग्रम घाड़ प्रदर्श–4 पहचान पत्र की छाया प्रति प्रदर्श–5 आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की । वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 स्वयं वादी दामोदर प्रसाद पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी पी. डब्ल्यू–2 श्री भंवरलाल पुत्र श्री कानाराम जाति गुर्जर निवासी घाड़ तहसील दूनी पी. डब्ल्यू–3 श्री गिरीराज प्रसाद पुत्र श्री दुर्गालाल जाति गुर्जर उम्र 43 वर्षनिवासी घाड़ तहसील दूनी के पेश किये। साक्ष्य वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 का इकबालिया जवाब होने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दाहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के पिता की मृत्यु हो चुकी है परन्तु अभी तक भी उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण नहीं खुला है। जमाबन्दी में भी वादी के नाम दामोदर प्रसाद के स्थान पर वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से गलत कर दिया जिसका सुधार

...ना आवश्यक है । इसके लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य भी प्रस्तुत किये है। ...ता वादी ने बहस में वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 87 ...किता 6 कुल रकबा 1.49 है0 पेश किये है। वादी के साथ भंवर बाई पुत्री देवीलाल का ... भी उद्घोषित किया जावे तो वादी को कोई आपति नहीं है। अतः वाद डिक्री किया ...ये।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के कॉलम 4 में देवीलाल, रामस्वरूप, किशनगोपाल, मधूसूदन जाति ब्राहम्ण का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का बहस में कथन रहा कि देवीलाल वादी के पिता का नाम है जिसको दुरूस्त कर देवीलाल के स्थान पर दामोदर प्रसाद किया जावे और रामस्वरूप, किशनगोपाल, मधूसूदन जाति ब्राहम्ण की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे इनके वारिसान के नाम फौती नामान्तकरण इनके हिस्से अनुसार खोला जावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में राशन कार्ड ग्राम पंचायत घाड़ प्रदर्श–3, पहचान पत्र जारी दिनांक 08.01. 2006 प्रदर्श–4 आधार कार्ड प्रदर्श–5 पेश किये है जिसमें वादी का नाम दामोदर प्रसाद व पिता का नाम देवीलाल अंकित है साथ ही कार्यालय ग्राम पंचायत घाड़ का प्रमाण पत्र दिनांक 27.10.2020 पेश किया है जिसके अनुसार देवीलाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी की मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिसान रामस्वरूप, किशनगोपाल, मधूसूदन, दामोदर प्रसाद पुत्र व भंवर बाई पुत्री दर्शित की गई है। बहस के समय पेश की गई जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 87 कुल किता 6 कुल रकबा 1.49 है0 में प्रतिवादीगण के नाम के साथ ही वादी का नाम दामोदर पुत्र देवीलाल व भंवरी बाई पुत्र देवीलाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के कॉलम 4 में देवीलाल, रामस्वरूप, किशनगोपाल, मधूसूदन जाति ब्राहम्ण में वादी का नाम दामोदर के स्थान पर दामोदर के पिता देवीलाल का नाम दर्ज हो गया साथ ही भंवर बाई पुत्री देवीलाल का नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने से रह गया। अतः हाल खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम घाड़ तहसील जिला टोंक में देवीलाल, रामस्वरूप, किशनगोपाल, मधूसूदन जाति ब्राहम्ण का नाम विलोपित किया जाता है तथा वादी दामोदर प्रसाद पुत्र देवीलाल को 1/5 हिस्से, भंवर बाई पुत्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 को 1/5 हिस्से का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नं 1 ता 16 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वे स्वंय जरिए एजेन्ट, नौकर या अन्य किसी माध्यम से वादी को उक्त आराजी के 1/5 भाग पर काश्त करने में मजामहत व बाधा उत्पन्न नही करे। तदनुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली

अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..

नानी दावा :

दामोदर प्रसाद पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादीगण —

बनाम

1. गोविन्दनारायण पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सत्यनारायण पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पिताम्बर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. कैलाशी पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मनभर पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. गायत्री पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सावित्री पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. सन्तोष बेवा किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. विमला पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. सीमा पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. बिन्दु पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
12. मोनिका पुत्री किशनगोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
13. कान्ता बेवा मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
14. राजेन्द्र पुत्र मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
15. रमेश पुत्र मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
16. इन्द्रा पुत्री मधुसुदन जाति ब्राहम्ण निवासी घाड़ तहसील दूनी जिला टोंक राज0
17. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

दावा दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 06 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री भगवान सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू इकबालिया जवाब विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम घाड़ तहसील जिला टोंक में देवीलाल, स्वरूप, किशनगोपाल, मधूसूदन जाति ब्राहम्ण का नाम विलोपित किया जाता है तथा वादी मोदर प्रसाद पुत्र देवीलाल को 1/5 हिस्से, भंवर बाई पुत्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण को /5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को 1/5 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 13 ता 16 को 1/5 हिस्से का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण नं 1 ता 16 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वे स्वंय जरिए एजेन्ट, नौकर या अन्य किसी माध्यम से वादी को उक्त आराजी के 1/5 भाग पर काश्त करने में मजामहत व बाधा उत्पन्न नही करे।

निजी.......................................मुवलिक.......................................बाबत् ....

...........खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन् 2020 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए